(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 22/2018- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2018

सा.का.नि.........(अ) - एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, हस्तशिल्प की वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आती हैं, के अंतर राज्यीय आपूर्ति को उस हद तक छूट देती है जिस हद तक इस पर उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत लगाए जाने वाला एकीकृत कर उक्त सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट दर से अधिक होता है ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति “हस्तशिल्प की वस्तुएं” से अभिप्राय - ऐसी वस्तुओं से है जो कि मुख्य रूप से हाथ से बनाई गई हों चाहे इनके बनाए जाने की प्रक्रिया में इसमें कुछ औजार या मशीनों का उपयोग क्यों न करना पड़ा हो; ऐसी वस्तुएं देखने में आकर्षक होती हैं और इसमें इसी तरह के कुछ काम हुए रहते हैं; इनकी अपनी विशेषता होती है जो कि सौंदर्यपरक, कलात्मक, संजातीय या सांस्कृतिक विशेषता लिए हुए होती है और यह इसी प्रकार के मशीनों से उत्पादित वस्तुओं से काफी भिन्न होती है ।

सारणी

क्र.सं.	**अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद**	**वस्तु का विवरण**	**दर**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3406	हस्तनिर्मित मोमबत्तियां	12 %
2.	4202 22,4202 29,4202 3110, 4202 3190, 4202 32, 4202 39	हैंड बैग्स, जिनमें पाउच और पर्स भी आते हैं, ज्वैलरी बाक्स	12 %
3.	4416, 4421 99 90	लकड़ी के नक्काशी युक्त उत्पाद, आर्ट वेयर/कलात्मक वस्तुएं, जो कि लकड़ी की हों (इनमें जड़ाऊ कार्य, कैस्क, बैरल, वेट्स भी आते हैं)	12 %

4.	4414 00 00	पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, दर्पण आदि के लकड़ी के फ्रैम्स	12%
5.	4420	लकड़ी की मूर्तियां और अन्य आभूषण, लकड़ी की मीनाकारी और जड़ीकारी, ज्वैलरी बाक्स, लकड़ी के खरादी और लॉक के कार्य (जिसमें मीनाकारी और जड़ीकारी, अंबादी सिसल शिल्प भी आते हैं)	12 %
6.	4503 90 90 4504 90	कार्क के कलात्मक कार्य [जिसमें शोलोपिथ की वस्तुएं भी आती हैं]	12 %
7.	4601 और 4602	चटाईयां, वनास्पतिक पदार्थों की चटाईयां और पर्दें, टोकरी, विकर वर्क और अन्य वस्तुएं या अन्य प्लैटिंग सामग्री, लूफा की वस्तुएं (जिसमें बांस, रटन, केन्स और अन्य प्राकृतिक फाइबर, सूखे फूल (जो कि प्राकृतिक रूप से सूखे हों), उनसे निर्मित वस्तुएं, रिंगल, रम्बान की वस्तुएं, शोला आइटम्स, कोना/च्युथांग (सरकंडा) क्राफ्टस, जल कुंभी की वस्तुएं, कोराई मैट्स भी शामिल हैं	5 %
8.	4823	कागज मेश की वस्तुएं	5 %
9.	5607, 5609	कोयर की वस्तुएं	5 %
10.	5609 00 20, 5609 00 90	तोरण, दरवाजे की सज्जा जो कि कॉटन यार्न या ऊन वाले यार्न और आभला (दर्पण) से बने हो, चाहे इनमें लटकन लगी हो या नहीं	5%
11.	57	हस्तनिर्मित कालीन और अन्य हस्तनिर्मित टैक्सटाइल फ्लोर कवरिंग्स (इसमें नामदा/गब्बा भी शामिल है)	5 %
12.	5804 30 00	मानवनिर्मित लेस	5 %
13.	5805	हाथ से बुने कसीदे	5 %
14.	5808 10	हाथ से बने जूड़े और ऑरनामेंटल ट्रीमिंग, जो अलग-अलग हों	5 %
15.	5810	हस्तनिर्मित जरीकारी की वस्तुएं	5 %
16.	6117, 6214	हस्तनिर्मित हस्तजरीकारी वाली शॉल जिनका मूल्य 1000/- रुपए प्रति नग से ज्यादा न हो	5 %
17.	6117, 6214	हस्तनिर्मित हस्तजरीकारी वाली शॉल जिनका मूल्य 1000/- रुपए प्रति नग से अधिक हो	12 %
18.	6802	पत्थर के नक्काशी किए हुए (जैसे की मूर्ति, मूर्तियां, जानवरी के आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती स्टैंड)	12 %
19.	6815 99 90	पत्थर से निर्मित कलात्मक वस्तुएं, स्टोन इनले वर्क	12 %

20.	6912 00 10 6912 00 20	चीनी मिट्टी और टैराकोटा से बने टेबलवेयर और किचनवेयर, चीनी मिट्टी की अन्य वस्तुएं	12%
21.	6913 90 00	मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरामिक वस्तुएं (ब्लू पॉटरिज समेत)	12 %
22.	7009 92 00	ऑरानामेंटल फ्रेम दर्पण	12 %
23.	7018 10	चूड़ियां, मनके और अन्य छोटे-मोटे समान	5 %
24.	7018 90 10	कांच की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो क्रिस्टल से बनी हों]	12 %
25.	7020 00 90	कांच की बनी कलात्मक वस्तुएं [जिनमें बर्तन, जार, वोटिव, कैस्क, केक कवर, ट्यूलिप बाटल, वेस भी आते हैं]	12 %
26.	7113 11 10	चांदी के महीन कार्य	3 %
27.	7117	हस्तनिर्मित नकली आभूषण (जिसमें प्राकृतिक बीज, मनके आभूषण, कार्डमम गारलेंड भी आते हैं)	3 %
28.	7326 90 99	लोहे की बनी कलात्मक वस्तुएं	12 %
29.	7419 99	कांसा, तांबा/तांबे की मिश्र धातु से बनी कलात्मक वस्तुएं जो कि निकिल/सिल्वर से इलैक्ट्रोप्लेटिड हो	12 %
30.	7616 99 90	एल्यूमिनियम की बनी कलात्मक वस्तुएं	12 %
31.	8306	घंटियां, गोंग्स जो कि नॉन इलैक्ट्रिक हों और बेस मेटल से बनी हों और अन्य आभूषण जो कि बेस मेटल से बने हों; फोटोग्राफ, चित्र या इसी प्रकार के फ्रैम जो कि बेस मेटल से बने हों; बेस मेटल से बने दर्पण (जिनमें बिद्रीवेयर, पंचलोगा की कलात्मक वस्तुएं, मूर्तियां, स्वामी मलाई कांसे की मूर्तियां, ढोकराजाली भी आते हैं)	12 %
32.	9405 10	हस्तनिर्मित लैम्प (जिसमें पंचलोगा लैम्प भी शामिल हैं)	12 %
33.	9401 50, 9403 80	बांस, रट्टन और केन के फर्नीचर	12 %
34.	9503	लकड़ी या धातु या कपड़े की सामग्री से बनी गुड़िया या अन्य खिलौने [जिनमें सांवतवादी लकड़ी के खिलौने, चनापटना खिलौने, तंजावूर की गुड़िया भी आती हैं)	12 %
35.	9504	गंजीफा कार्ड	12 %
36.	9601	हाथीदांत, अस्थि, कच्छुए की खोपड़ी, सींग, बारहसिंगा के सिंग, कोरल, मदर ऑफ पर्ल, सी शैल से बनी और अन्य जन्तु पदार्थ जड़ित वस्तुएं	12 %

37.	9602	लकड़ी या खनिज पदार्थ वाली नक्काशी युक्त वस्तुएं, मोम की वस्तुएं, स्टेयरिंन की वस्तुएं, प्राकृतिक गोंद और प्राकृतिक रेशिन की वस्तुएं, मॉडलिंग पेस्ट की वस्तुएं आदि (इनमें लॉक और शेलाक की वस्तुए भी आती हैं)	12 %
38.	9701	हैंड पेंटिंग, ड्राईंग और पेस्टल (जिनमें मैसूर पेंटिंग, राजस्थान पेंटिंग, तंजोर पेंटिंग, पाम-लीफ पेंटिंग, बसोली आदि आते हैं)	12 %
39.	9703	मूल मूर्तिकला और मूर्ति निर्माण कला, जो धातु, पत्थर और अन्य सामग्री से की जा रही हो	12 %

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी ।

[फाइल संख्या 354/255/2018 -टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार